पत्रांक— 5/बी01—43/2016............................

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

उपेन्द्र नारायण महतो,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक ..../

विषय :— वित्तीय वर्ष 2016—17 में योजनान्तर्गत राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 5 से 6 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल रूपये **29,91,13,200/—(उनतीस करोड़ इक्यानवें लाख तेरह हजार दो सौ रूपये)** मात्र राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या—21, मुख्य शीर्ष—2202—सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष—01—प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष—109—छात्रवृत्तियॉ एवं प्रोत्साहन, उप शीर्ष—0105—प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष—34 01—छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड संख्या—पी 2202011090105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016—17 में कुल राशि रू0 **29,91,13,200/—(उनतीस करोड़ इक्यानवें लाख तेरह हजार दो सौ रूपये)** मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 (वि0—2), दिनांक—17.04.1998 300(वि), दिनांक—08.05.2009, 423 दिनांक—31.03.2016, 2793 दिनांक—04.04.2016 एवं 4572 दिनांक—03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

3. उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या—79 दिनांक—21.02.2017 के आलोक में आवंटित है।

4. इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या—79 दिनांक—21.02.2017 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।

5 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान—बीन एवं जॉंच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्‌मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

Sunil kumar sinha

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशो का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

8 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10 मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

12. वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा विपत्र कोड–पी 2202011090105, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृति/वजीफा में रू० 50,00,00,000/–(पचास करोड़ रूपये) मात्र अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(उपेन्द्र नारायण महतो),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 270 पटना, दिनांकः– 23/2/17

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि०एवं सर्व शिक्षा अभियान)/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.2.17
(उपेन्द्र नारायण महतो),
सरकार के उप सचिव।

Sunil kumar sinha

कक्षा 5 से 6 तक सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्राओं हेतु

राज्य योजना अन्तर्गत मांग संख्या–21 मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृत्तियां एवं प्रोत्साहन, उपशीर्ष–0105–प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विपत्र कोड–पी0 2202011090105 अंतर्गत विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृत्ति / वजीफा में वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिलावार आवंटित राशि की विवरणी।

क्र0 सं0	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि (रू0 में)	तत्काल आवंटित राशि (रू0 में)	कुल आवंटित राशि (रू0 में)
1	2	4	5	6
1	अररिया	0	1984800	1984800
2	अरवल	0	1298400	1298400
3	औरंगाबाद	0	5012400	5012400
4	बांका	0	3548400	3548400
5	बेगुसराय	0	9916800	9916800
6	भागलपुर	0	8408400	8408400
7	भोजपुर	0	8560800	8560800
8	बक्सर	0	6063600	6063600
9	दरभंगा	0	19250400	19250400
10	गया	0	8850000	8850000
11	गोपालगंज	0	5796000	5796000
12	जमूई	0	4699200	4699200
13	जहानाबाद	0	2710800	2710800
14	कैमूर	0	2726400	2726400
15	कटिहार	0	20899200	20899200
16	खगड़िया	0	2830800	2830800
17	किशनगंज	0	23882400	23882400
18	लखीसराय	0	3729600	3729600
19	मधेपुरा	0	2185200	2185200
20	मधुबनी	0	14958000	14958000
21	मुंगेर	0	3600000	3600000
22	मुजफ्फरपुर	0	14368800	14368800
23	नालन्दा	0	4808400	4808400
24	नवादा	0	6984000	6984000
25	पश्चिमी चम्पारण	0	7672800	7672800
26	पटना	0	8644800	8644800
27	पूर्वी चम्पारण	0	14114400	14114400
28	पुर्णियां	0	5364000	5364000
29	रोहतास	0	7135200	7135200
30	सहरसा	0	4772400	4772400
31	समस्तीपुर	0	10321200	10321200
32	सारण	0	12471600	12471600
33	शेखपुरा	0	2252400	2252400
34	शिवहर	0	3310800	3310800
35	सीतामढ़ी	0	13378800	13378800
36	सिवान	0	7906800	7906800
37	सुपौल	0	7992000	7992000
38	वैशाली	0	6703200	6703200
	कुल	**0**	**299113200**	**299113200**

कुल (उनतीस करोड़ इक्यानवें लाख तेरह हजार दो सौ) रूपये मात्र।

23.2.17
(उपेन्द्र नारायण महतो)
सरकार के उप सचिव।

D:/Prabha/Allotment Letter/1